



राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति (मर्यादित) भोपाल

(म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत)

कोलार रोड, ग्राम इनायतपुर, मदर टेरेसा स्कूल के सामने, भोपाल

क्रमांक.....

दिनांक.....

आवृत्ति वर्ष

2020-2021

II



राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति (मर्यादित) भोपाल

(म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत)

कोलार रोड, ग्राम इनायतपुर, मंदर टेरेसा स्कूल के सामने, भोपाल

क्रमांक.....

दिनांक 13/8/21.....

प्रति,
श्रीमान सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
मध्य प्रदेश

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/लेव्ही/ 51 / दिनांक:-23/7/21

विषय :-संस्थागत लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष:2020-2021 के लिए
संपरीक्षा शुल्क का उदगृहण।

महोदय,

निवेदन है कि संस्था का वर्ष:-2020-2021 का अंकेक्षण टीप
पारीत होकर संस्था को प्राप्त हो चुकी है। विभाग के निर्देशानुसारी
संपरीक्षा शुल्कराशि 500/- चालान क्रमांक :-
09.00.01.....दिनांक. 13/8/21.....राशि 500/- भारतीय स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में जमा करचालान की मूल प्रति पत्र के साथ
संलग्न है।

धन्यवाद

संगठन -1.चालान की मूलप्रति

Janu
13/8/2021
कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके
सहकारिता जिला भोपाल

रूपरूप
अध्यक्ष

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित भोपाल

चालान क्रमांक CHALLAN No.

खजाना/उप-खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने का चालान
Challan of Cash paid into the Treasury/Sub. Treasury/State/Reserve Bank of India

at भोपाल

To be filled in by the Remitter To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury Officer.

पैसा जमा करने वाले ने लिखना चाहिए।

विभागीय का खजाना अधिकारी ने लिखना चाहिए।

By whom Tendered कौन लाया	Name or Designation & address of the Person on whose behalf money is Paid. उसका नाम (ओहदा व पता) जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है।	Full particulars of the remittance and/ of the authority (if any) किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा है उनका पूरा विवरण	Amount रकम	Head of Account लेखा शीर्ष	Accounts Officer by whom adjustable लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	Order to the Bank बैंक का आदेश
1	2	3	4	5	6	7
Name नाम	वर्ष 2020-2021 उत्कृष्ट श्रम	वर्ष 2020-2021 उत्कृष्ट श्रम	Rs.रु. 500- P.पै. 1	0425 सहायता 101 लेखा परिक्षण शुल्क	हामरा अमुक्त (मुक्ति) सहायता भोपाल	correct Date Receive & grant receipt (Sig. & full designation of the officer ordering the money to be paid in)

Rupees in words

शब्दों में रुपये - पांच सौ रुपये मात्र

S. S. MATHANICAR in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer or the Treasury Officer.

Received Payment (in words) Rupees

Treasurer

Accountant

अन्तरण/मगद भुगतान/जमा किया
PF Index No. 5787394
Date

Treasury Officer/Agent

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

भोपाल दिनांक 23/2/21

क्रमांक/अंके./लेखी/51

आदेश

(प्रारूप एक-नियम 50 का उपनियम (2) देखिये)

विषय:- संस्थागत लेखा परीक्षा सहकारी वर्ष 2020-2021 के लिये संपरीक्षा शुल्क का उदग्रहण
मध्य प्रदेश सहकारी समितियों नियम 1962 के नियम 50-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं-----सहायक आयुक्त (अंके.), सहकारी संस्थाएँ, जिला भोपाल संस्था 21.04.88 गृह निगम मर्यादित भोपाल पंजीयन क्रमांक 318 दिनांक 08.02.1982 के सहकारी वर्ष 2020-2021 की लेखा परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 05-1-2015-पन्द्रह-1, भोपाल दिनांक 05 अगस्त 2015 के अनुसार रूपये 500/- (शब्दों में पाँच सौ रुपये मात्रा) संपरीक्षा शुल्क निर्धारित करता हूँ।

क्र.	संपरीक्षा वर्ष	आधारभूत राशि एवं उदग्रहण का आधार	संपरीक्षा शुल्क दर न्यूनतम / अधिकतम सीमा के अधीन	राशि
1.	2020-2021	-	-	500/-
	योग			500/-

कृपया इस आदेश के प्रसारित होने की दिनांक से दो माह के भीतर लेखा शीर्ष- 0425 सहकारिता 101 लेखा परीक्षण शुल्क के अन्तर्गत निकटम शासकिय कोषालय में निर्धारित राशि जमाकर कोषालयीन चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें। किसी अन्य लेखा शीर्ष में राशि जमा न करने की सावधानी रखें।

सहायक आयुक्त (अंके.)

सहकारी संस्थाएँ, जिला -भोपाल

क्र./अंके./लेखी/51
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 23/2/21

1. अध्यक्ष/प्रशासक राजेश्वर गृह निगम मर्यादित भोपाल की ओर पालनार्थ।
2. श्री सी.एल. खन्ना (C.I.) प्रभारी अंकेक्षण की ओर भेजकर लेख है कि संस्था से सम्पर्क कर उक्तानुसार अंकेक्षण शुल्क राशि जमा कराकर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल

नोटशीट

कक्ष क्रमांक-

विषय.....सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

पंजीयन क्र. एआरबी/डीआरबी..... दिनांक

आवक क्र.

दिनांक

.....सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

की अंकेक्षण टीप वर्ष 20.....-20..... अंकेक्षक श्री/ श्रीमती.....

द्वारा अंकेक्षण पूर्ण कर अंकेक्षण टीप प्रस्तुत की गई है।

अंकेक्षण प्रतिदिन वर्ष 20.....-20..... की जाँच की जाना है। अंकेक्षण टीप जाँच हेतु श्री/ श्रीमती
.....को अधिकृत किया जाता है।1002
/1002

1005-0508

(अंके.) सहायक आयुक्त
कार्यालय- सहायक आयुक्त

15/6/88

10/07/88

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

क्रमांक/अंके-1/2021 / 57
प्रति,

भोपाल दिनांक 23/2/21

अध्यक्ष, राज हर्षगृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल ।

विषय : म.प्र. सहकारिता अधिनियम- 1960 की धारा-61 के अंतर्गत अंकेक्षण आक्षेपों का
परिशोधन करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज हर्षगृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्यादित भोपाल, पंजीयन क्रं-डी.आर.बी. 318दिनांक 8.2.83के
वर्ष 2020-21 की अंकेक्षण टीप निर्गमित कर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है ।

अंकेक्षण टीप में आक्षेपों एवं सुझाव संख्या 06 एवं वर्ग 7 है ।

अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों का म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960-की धारा-61 के अन्तर्गत परिशोधन
कर 02 माह (60 दिवस) की समयावधि में पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियाँ में कार्यालय को निम्नांकित प्रारूप
में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

पालन प्रतिवेदन प्रारूप:-

आक्षेप क्रं.	अंकेक्षण आक्षेप का विवरण	संस्था द्वारा किया गया निराकरण	अंकेक्षक का अभिमत	रिमार्क
1	2	3	4	5

संलग्न - अंकेक्षण टीप वर्ष
2020-21

(डां छवि कांत बाघमारे)
सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला-भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/2/21

पृ. क्र./अंके.-1/2021 / 57

प्रतिलिपि :- पालन प्रतिवेदन कक्ष प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला-भोपाल



राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति (मर्यादित) भोपाल

(म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत)
कोलार रोड, ग्राम इनायतपुर, मदर टेरेसा स्कूल के सामने, भोपाल

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रति,

श्रीमान सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थायें जिला भोपाल
मध्य प्रदेश

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / अंकेक्षण / 2021 / 51 दिनांक :- 23/2/21

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा-61 के अंतर्गत अंकेक्षण
आक्षेपों का परिसोधन करने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि संस्था का वर्ष 2020-2021 का अंकेक्षण टीप पारीत होकर संस्था को प्राप्त हो चुकी है। उक्त अंकेक्षण टीप में आर्केक्षक द्वारा लगाये गये अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव का निराकरण कर लिया गया है। उक्त निराकरण कार्यकारणीय सदस्यों के द्वारा सभा में पालन प्रतिवेदन का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

धन्यवाद,

संलग्न: 1. पालन प्रतिवेदन

२०/२/२१
अध्यक्ष

राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित भोपाल

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला भोपाल

(डी ब्लाक पुराना सचिवालय)

भोपाल दिनांक 23/2/21

क्र./अंके-1/2021/51

प्रति,

अध्यक्ष, राज हर्ष गृह निर्माण
सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल ।

विषय : म.प्र. सहकारिता अधिनियम- 1960 की धारा-61 के अंतर्गत अंकेक्षण आक्षेपों का
परिशोधन करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज हर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्यादित भोपाल, पंजीयन क्रं-डी.आर.बी. 318 दिनांक 8.2.83 के
वर्ष 2020-21 की अंकेक्षण टीप निर्गमित कर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

अंकेक्षण टीप में आक्षेपों एवं सुझाव संख्या 06 एवं वर्ग 5 है।

अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपों का म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960-की धारा-61 के अन्तर्गत परिशोधन
कर 02 माह (60 दिवस) की समयावधि में पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियाँ में कार्यालय को निम्नांकित प्रारूप
में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

पालन प्रतिवेदन प्रारूप:-

आक्षेप क्रं.	अंकेक्षण आक्षेप का विवरण	संस्था द्वारा किया गया निराकरण	अंकेक्षक का अभिमत	रिमार्क
1	2	3	4	5

संलग्न - अंकेक्षण टीप वर्ष

2020-21

(डां छविकांत बाघमारे)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला-भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/2/21

पृ. क्र./अंके-1/2021/51

प्रतिलिपि :- पालन प्रतिवेदन कक्ष प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ, जिला-भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

डी.आर.बी. 318 दिनांक 08.02.1983

आर्केक्षण आक्षेप एवं सुझाव

वर्ष 2020-2021

क्रमांक	अर्केक्षण आक्षेप	निराकरण / पालन प्रतिवेदन	आर्केक्षण का अभिमत
1	2	3	4
1	संस्था द्वारा म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 के अंतर्गत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।	आर्केक्षक द्वारा लिखे गये आर्केक्षण आक्षेप एवं सुझाव वर्ष 2020-2021 में संस्था द्वारा म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 के अंतर्गत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आर्केक्षण आक्षेप एवं सुझाव स्वयमेव ही निराकृत हो गया।	
2	संस्था की सदस्यता पंजी अर्केक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई लेकिन सदस्यता पंजी के कुछ कालम अपूर्ण पाये गये। सभी कालमों की पूर्ति की जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सदस्यों के नॉमिनी के नाम अंकित कर सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाये जावे।	संस्था की सदस्यता पंजी में आर्केक्षक द्वारा जो कालम अपूर्ण बताये गये थे उन कालमों की पूर्ति कर सभी सदस्यों के नॉमिनी के नाम अंकित कर सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिये गये है।	
3	संस्था को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में संस्था की वार्षिक साधारण सभा में कोई सदस्य बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 72 (ख) (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे	संस्था भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी की संस्था की वार्षिक साधारण सभा में कोई सदस्य अनुपस्थित नहीं रहे। अन्यथा संस्था उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 72 (ख) (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की कार्यवाही करेगी इसका विशेष ध्यान रखा जावेगा। राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल नं.दीपल बस्ती-क-स्टे. जंग. श्री. / 318 डि.आर.बी. 318 दिनांक 08.02.1983	

4	संस्था के समस्त सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये है। अतः नियमानुसार सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी किये जावे।	संस्था के शेष बचे सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है।	
5	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ती पर संस्था अभिलेखों को सहकारिता पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।	विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल ई को-आपरेटिव में सोसाइटी द्वारा आनलाईन प्रस्तुति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सोसाइटी का यूजर नेम तथा पासवर्ड सील बंद लिफाफे में दिनांक 18/09/2015 को उपपंजीयक सहकारी संस्थायें कार्यालय में जमा करा दिया है। तथा वर्ष समाप्ती पर। संस्था से संबंधित अभिलेखों को सहकारिता पोर्टल पर प्रतिवर्ष अपलोड किया जाता है।	
6	गत टिप अनुसार प्रदत्त अंशपूंजी 296200 के मान से समक्ष में धारित अंशों की संख्या 3232 दर्शाई गई का मिलान कर सही स्थिति दर्शाई जाना सुनिश्चित करे।	आक्षेक क्रमांक-6 में गत टीप अनुसार अंश पूंजी 296200 है। के मान से धारित मान अंशों की संख्या 3232 दर्शाई गयी है उक्त स्थिति गत वर्षों से अंकेक्षण टीप में दर्शित है। जो गत वर्ष के अंकेक्षको द्वारा ही तैयार गयी, टीप का भाग अंकेक्षको द्वारा ही तैयार किया जाता है। आगामी वर्ष में इसका मिलान कर लिया जावेगा।	

1
29/11/2024
अध्यक्ष

आक्षेक

सहकारिता जिला
भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी

अंकेक्षण वर्ष 2020-21

प्रश्न		अंकेक्षक के उत्तर		
1.	समिति का नाम पता पंजीकृत पता वर्तमान पता	राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल 17/16, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल मदर टेरेसा स्कूल, ग्राम इनायतपुर कोलार रोड, भोपाल		
2.	पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक	डी.आर.बी. /318, दिनांक 08.02.1983		
3.	वर्ष जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है वर्तमान वर्ष अंकेक्षक का नाम	बी.एल. छाबड़ा, सहकारी निरीक्षक, वर्ष 2020-21 आदेश/क्र./अंके./504 दिनांक 29.06.2021		
4.	पूर्व अंकेक्षण का नाम व दिनांक	श्री सतीश बाथम, अंकेक्षण अधिकारी अंकेक्षण वर्ष 2019-20		
5.	समिति किस प्रकार की है, (शिकमा, स्वामित्व, शिकमा सहभागीदारी, गृह निर्माण आदि) तथा, कौन-सा काम कर रही है?	गृह निर्माण		
6.	क्या समिति के पास म.प्र. सहकारी अधिनियम समिति की उपविधियां तथा पंजीयन का प्रमाण पत्र है?	पंजीकृत उपविधियाँ तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र संस्था में उपलब्ध है।		
7.	(अ) क्या समिति के पंजीयक द्वारा प्रेषित नवीन आदर्श उपविधियाँ अंगीकृत कर ली है, नहीं तो टीप दे।	आदर्श उपविधियों में पंजीकृत है।		
	(ब) अधिकृत अंशपूजी (संस्था) एवं अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या	अधिकृत अंशपूजी दस लाख रुपये अधिकतम सदस्य संख्या 3000 है।		
8.	सदस्य निम्न जानकारी दीजिये :-			
		संस्था (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)	प्रदत्त अंशपूजी (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)	धारित अंशों की संख्या (व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या)
1.	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2020	2589	296200	3232
2.	वर्षान्तर्गत भर्ती किये गये	-	-	-
3.	वर्षान्तर्गत अलग	-	-	-
4.	वर्षान्त पर 31.03.2021	2589	296200	3232

प्रश्न	अंकेक्षक के उत्तर
(क) क्या नये सदस्य की भर्ती नियमानुसार की गई है तथा उनका नाम सदस्य पंजी में दर्ज किया गया है? नये सदस्य की उम्र एवं अन्यत्र प्लेट न होने की पुष्टि की है।	अंकेक्षण वर्ष में नये सदस्य भर्ती नहीं किये गये हैं।
(ख) क्या नये सदस्यों के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है यदि है तो नये सदस्य की भर्ती की आवश्यकता प्लेट उपलब्धता के अनुकूल है तथा कार्यकारिणी समिति से उसका अनुमोदन कराया गया है?	प्रवेश शुल्क 50/- रु. निर्धारित है।
(ग) क्या हर एक सदस्य ने वर्तमान उपनियम से व उनमें किये गये बाद के संशोधनों से बाध्य रहने संबंधी घोषणा-पत्र दे दिया है? (नवीन आदेश उपविधि अनुसार प्रमाण-पत्र)	अधिकांश सदस्यों से घोषणा प्राप्त किये गये है।
(घ) क्या सभी सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो कितने सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी हुए है?	अंश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं। सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कर वितरित करें।
(ङ) क्या सभी सदस्यों ने नियमानुसार अपने मनोनीत व्यक्तियों के नाम दे दिये हैं, क्या सदस्यता आवेदन पत्र पूर्ण भरे हैं?	जी हाँ मनोनीत व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं।
(य) क्या आपने समिति में पहुंचते ही नगदी सिल्क की जांच की है? यदि नहीं तो क्यों? फिर कब जांच की? कितनी सिलक बाकी थी तथा क्या वह रोकड़ बही में दर्शाई गई बाकी सिल्क से मिलती थी। यदि नहीं तो कितना फर्क था? कैश बुक अंकेक्षण के समय तारीख पूर्ण कराई गई है। अथवा नहीं।	नगदी सिलक की जांच की गई जो सही पायी गई।
(र) बाकी सिल्क किसके पास रहती है तथा समिति को उपविधियों के अनुसार उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है।	अंतिम सिलक संस्था अध्यक्ष के पास रहती है। इसके लिये संस्था अध्यक्ष पूर्ण उत्तरदायी है।
9. लेने-देन होने पर क्या प्रत्येक दिन की रोकड़ बही बंद की गई है? तथा क्या बाकी सिलक अंकों तथा शब्दों में लिखी गई है और फिर सचिव तथा खजान्दी/अध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये है? इस संबंध में स्पष्ट आपत्ति दाखिल करें?	प्रत्येक लेन-देन के समय कैशबुक लिखी गई है एवं उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। बाकी सिलक केवल अंकों में लिखी गई है। शब्दों में भी शेष सिलक लिखें।
10. जो कर्मचारी स्थाई तौर पर अथवा कभी-कभी नगदी सिलक रखता है, क्या उससे पर्याप्त प्रतिभूति ली गई है।	कोई कर्मचारी संस्था में कार्यरत नहीं है।
(अ) कर्मचारी व्यय संस्था कार्य को देखते हुए औचित्य पूर्ण है या नहीं।	अंकेक्षण वर्ष में कर्मचारी व्यय नहीं किया गया है।

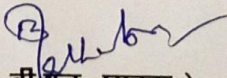
प्रश्न	अंकेशक के उत्तर
11. संस्था द्वारा आवास निर्माण हेतु क्रय की गई। लीज पर ली गई भूमि का विवरण दीजिये। इस संबंध में स्पष्ट विवरण पत्रक क्रमांक 12 से 16 तक निर्धारित प्रारूप में भरकर दें। (प्रारूप संलग्न है)	भूमि का विवरण प्रपत्र क्रमांक-3 में है। प्रपत्र (1 से 16 तक) निर्धारित प्रारूप में टीप के संलग्न है।
12. (अ) क्या संस्था द्वारा सदस्यों को प्लॉट आवंटन हेतु वरियता सूची तैयार की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई है, एवं अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर, आम सभा में पारित करवा लिया है। (ब) कितने भूखण्ड सदस्यों को आवंटित कर दिये गये है। (स) आवंटित भूखण्डों की राशि जिन सदस्यों से प्राप्त की गई है, तथा उनके नाम पर रजिस्ट्रियाँ करवा दी गई है।	सूची संलग्न है। पूर्व वर्षों में विभिन्न आकारों के भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। विगत वर्षों में कुल 2505 भूखण्ड आवंटित किये गये है तथा 4 भूखण्ड आवंटन योग्य नहीं है। पूर्व वर्षों में जिन सदस्यों ने पूरी राशि जमा कर दी है उनको भूखण्ड का पंजीयन करा दिया गया है।
13. क्या संस्था ने म.प्र. आवास संघ की सदस्यता ग्रहण की या नहीं यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल की सदस्यता ग्रहण की है।
14. क्या समिति ने प्रत्येक सदस्य से ऋण प्रार्थना पत्र आवास संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप से प्राप्त किये है।	संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा ऋण नहीं प्राप्त किया गया है।
आवास संघ को भेजे ऋण प्रकरण संस्था के पूर्व से सदस्य के थे या नवीन बनाये सदस्यों के?	संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा ऋण नहीं प्राप्त किया गया है।
15. (अ) कितने सदस्यों के भूखण्डों पर आवास भवन बन चुके है। निर्माण न होने के क्या कारण है। इसके लिए दायित्व संस्था का है या सदस्यों का है स्पष्ट कीजिये। (ब) कितने आवास गृहों के पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उन्हें आवास ऋण के विरुद्ध बंधक रख लिया गया है? स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें। (स) कितने सदस्यों ने स्वयं वित्तीय साधन से आवास गृह निर्माण किये है।	उपरोक्तानुसार। उपरोक्तानुसार। निर्मित भवन - 2485 निर्माणाधीन भवन - 20 नींव नहीं खोदी गई - -निल- कुल योग - 2505
(द) कितने सदस्य अदत्त ऋणों की किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है।	संस्था द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया है।
(इ) क्या इस संस्था कोई भूमि/भवन संबंधी विवाद चल रहा है? यदि हाँ, तो विवरण दीजिए। संस्था में यदि कानूनी विवाद हो तो संबंधित मुकदमें का प्रकरण क्रमांक कोर्ट का	अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भूमि के सम्बन्धी कोई विवाद किसी न्यायालय में प्रचलित/लंबित नहीं है।

प्रश्न	अंकेक्षक के उत्तर
नाम भी दें, एवं उपविधि तथा विधान अनुसार अनुमति प्राप्त की है?	
16. प्रारंभ से कुल उधार ऋण ग्रहण की राशि तथा प्रत्येक कर्ज की समान किस्तों की राशिमय भुगतान के निम्न प्रारूप में दीजिये।	संस्था ने कहीं से भी ऋण नहीं लिया है।
17. संस्था उपविधि क्रमांक (20) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ऋण तथा अमानतों का परीक्षण कर टीप दें	संस्था ने कहीं से भी ऋण नहीं लिया है।
18. ऋण/अमानत प्रदत्त अंश पूजी रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के बाद शेष निजी निधि के 12 गुना तक की सीमा में है या नहीं।	उपरोक्तानुसार।
19. (अ) संस्था की उपविधि (74) के अनुरूप आवश्यक नियम पंजियां रखी है :-	
(1) सदस्य पंजी, (2) सदस्यता/त्याग पत्र आवेदन पंजी, (3) कैश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5) ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7) जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी, (10) रसीद कट्टा, (11) भूखण्ड निर्धारित पंजी, (12) भूखण्ड आवंटन पंजी। ये पंजियाँ रखना अनिवार्य होगा एवं लो.नि.वि. के मैनुअल अनुसार विभिन्न किताबें रखी है।	(1) सदस्य पंजी, (2) कैश बुक, (3) जनरल लेजर (4) कार्यवाही पंजी, (5) रसीद कट्टा, (6) आवक जावक पंजी, (7) स्टेशनरी पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) भूखण्ड निर्धारण पंजी, (10) भूखण्ड आवंटन पंजी उपरोक्तानुसार पंजीयां रखी गई हैं।
(ब) क्या सभी सदस्यों द्वारा भूखण्ड आवंटन के पश्चात नियमानुसार 08 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण किया गया है? यदि नहीं तो संस्था द्वारा ऐसे सदस्यों को आवंटित भूखण्डों के निरस्ती संबंधी क्या कार्यवाही की गई है? सूची संलग्न की जावे।	जी हाँ।
20. समिति के कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार दीजिए। क्या वे पर्याप्त है? क्या समिति ने अपने कर्मचारियों से पर्याप्त प्रतिभूति ले ली है? क्या कर्मचारियों पर किया जा रहा व्यय उचित है या अनुचित?	संस्था में एक भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है।
21 (अ) समिति का संचालक मण्डल कब चुना गया था? संचालकों के नाम दीजिए। निर्वाचन अधिकारी का नाम -	संचालक मण्डल का निर्वाचन विशेष आमसभा में दिनांक 09.08.2019 को एवं अध्यक्ष / उपाध्यक्ष दिनांक 13.08.2019 को निर्वाचन श्री बृजेश चौहान, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया गया है।

प्रश्न		अंकेषक के उत्तर		
		1	श्री रूप सिंह	अध्यक्ष
		2	श्री नेलशन जोन	उपाध्यक्ष
		3	कु. नेहा सिकरवार	उपाध्यक्ष
		4	श्री पीटर बेक	संचालक
		5	श्री बी.एस. बाजपेयी	संचालक
		6	श्री सत्यभान टेलर	संचालक
		7	श्री प्रमोद	संचालक
		8	श्री जेम्स एम.जे.	संचालक
		9	श्री विनोद प्रजापति	संचालक
		10	श्री अंकित मीना	संचालक
		11	श्रीमती सुषमा मिश्रा	संचालक
	प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ 1.जिला सहकारी संघ - 2.जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक - 3.म.प्र. राज्य सह. आवास संघ -	श्री पीटर बेक - श्री बी.एस. बाजपेयी		
21 (ब)	क्या संचालक मण्डल की बैठकें उपविधि के अनुसार बराबर होती है? वर्ष में संचालक मण्डल की कितनी बैठकें हुई है, दिनांक दीजिए। क्या बैठक की कार्यवाहियाँ नियमानुसार लिखी गई है?	बैठकें नियमानुसार की गई है। 09.04.2020, 18.05.2020, 09.06.2020, 10.07.2020, 15.08.2020, 09.09.2020, 20.10.2020, 18.11.2020, 09.12.2020, 17.01.2021, 26.01.2021, 18.02.2021, 31.03.2021		
(स)	क्या संचालक मण्डल में कोई स्थान रिक्त है? यदि है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई?	संचालक मण्डल में कोई स्थान रिक्त नहीं है।		
(द)	संचालक मण्डल के कितने सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण उपविधियों के अनुसार संचालक रहने के अयोग्य हो गए है? उनमें से कितनों को अलग कर उनके स्थान पर नई नियुक्तियाँ कर ली है।	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।		
(इ)	क्या कोई संचालक अनुपस्थिति के अतिरिक्त दूसरी उपविधियों के अन्तर्गत पद के अयोग्य कर दिया है।	जी नहीं।		
(फ)	क्या कोई उप-समितियाँ जैसे योजना उप समिति, नमूना उप-समिति, कार्य उप- समिति आदि बनाई गई है? यदि बनाई गई है तो क्या वे बराबर काम कर रही है? क्या वे उपसमितियों के अनुसार बनाई गई है? यदि हाँ?	कोई उपसमिति नहीं बनाई गई है।		
	क्या संचालक मण्डल से समिति के मुख्य कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकारों के लिए कोई सहायक नियम बनाये हैं? क्या इस संबंध में आपका कोई सुझाव है?	सहायक नियम नहीं बनाये है।		

प्रश्न	अंकेक्षक के उत्तर
22. (अ) क्या ऊपर वर्णित अनियमितताओं के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सहकारी कानून नियम व समिति के उपनियमों के विरुद्ध हुए है। यदि हाँ तो उल्लेख कीजिए।	अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव पृथक से संलग्न है।
(ब) संस्था में हुई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में आपने विशेष प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है? यदि नहीं तो क्यों?	ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।
23. भूमि क्रय :	
1. क्या संस्था द्वारा भूमि क्रय करने के पूर्व नगर भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये है?	संस्था द्वारा पूर्व में क्रय की गई भूमि पर धारा-20 लागू नहीं थी।
2. भूमि का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय है।	आवासीय।
3. विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मण्डल नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त की है या नहीं।	अनापत्ति प्राप्त की गई है।
4. क्या नवीन उपविधि क्रमांक (41) का उल्लंघन तो नहीं हुआ है?	जी नहीं।
24. कालोनी का विकास :	
1. संस्था द्वारा भ्रष्ट आचरण नियम 1982 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर से प्राप्त लाभांशों का क्रमांक, दिनांक एवं जिस भूमि के लिए दिया उसका स्पष्ट विवरण।	क्र. 9/रीडर/85 दिनांक 04.06.85
2. कालोनाइजर्स लायसेंस के नियमावली के नियम 10 के अन्तर्गत फार्म 4 में अनुमति प्राप्त की है या नहीं।	69/रीडर/कालो./89/भोपाल, दि.21.12.89 97/ बी./121 / 89-90/ भोपाल, दिनांक 20.12.90 308/ रीडर/ कालो/ 88/ भोपाल, दिनांक 23.06.1988 1/रीडर/90/ भोपाल दिनांक 02.01.1990
3. विकास कार्य को यदि ठेके से कराया गया है तो क्या उसके पूर्व विकास प्राधिकरण गृह निर्माण मण्डल में अनापत्ति प्राप्त की थी।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
4. विकास कार्य कराने के पूर्व प्रबंध समिति ने तकनीकी उपसमिति गठित की है, या नहीं, नहीं तो स्पष्ट जानकारी दें, तकनीकी जानकारी प्राप्त की है या नहीं।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
5. विकास कार्य की निविदायें पेपर द्वारा प्रकाशित की या नहीं? इस संबंध में स्पष्ट अभिमत स्पष्ट करें।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
6. क्या संस्था के विकास कार्य का निविदा में स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण दिया था? उनके मूल्य की तुलना प्रचलित लो.नि.वि., सी.एम.आर. करके मूल्यांकन करें।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।

	प्रश्न	अंकेषक के उत्तर
	7. निविदायें सीलबंद प्राप्त की थी या नहीं?	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
	8. निविदायें स्वीकृत करने की दिनांक की कार्यवाही स्पष्टतः अवलोकन करें। क्या उसमें लोक निर्माण विभाग एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं?	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
	9. वर्क आर्डर देने के पूर्व संस्था ने ठेकेदार से अनुबंध किया या नहीं तथा उसकी प्रतिभूति प्राप्त की है?	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
	10. ठेकेदार के अनुबंध व शर्तों में संस्था के हित के विरुद्ध शर्त तो नहीं है।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं हुआ है।
25	माप पुस्तिका (थम को)	
	संस्था की समस्त विकास कार्य संबंधित माप पुस्तिका का निरीक्षण कर 50 प्रतिशत गणितीय परीक्षण करें। इस बात की पुष्टि करें कि माप पुस्तक लोक निर्माण विभाग का संहिता अनुरूप प्रयुक्त की गई है। कटिंग ओवर रायटिंग आदि पर पृथक टीप दें।	आलोच्य वर्ष में विकास कार्य नहीं कराया गया।
26	म.प्र. सह. समिति अधिनियम की धारा 47 के अनुसार	
	1. क्या समिति ने अभिदाय (शुल्क) रुपये 500/- प्रतिवर्ष की राशि जमा करा दी है? यदि हाँ तो जमा की दिनांक एवं राशि का विवरण।	आलोच्य वर्ष में दिनांक 20.12.2018 को रसीद क्रमांक 13798 द्वारा 5000/- रुपये वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक अभिदाय की राशि जमा कराई गई है।
	2. यदि सदस्यता अभिदाय की राशि बकाया है तो राशि कब से और कुल कितना बकाया है। (स्पष्ट अंकित करें)	वित्तीय पत्रकों के अनुसार को राशि देना शेष नहीं है।
	3. बकाया सदस्यता अभिदाय की राशि का पूर्व वर्षों के वित्तीय पत्रकों में देना दर्शाया है या नहीं। यदि नहीं तो उपरोक्त कालम में दर्शाई राशि अंकेक्षण वर्ष के वित्तीय पत्रकों में जिला सह. संघ को देना दर्शाया जाये।	अंकेक्षण वर्ष में कोई देनदारी शेष नहीं है।
27.	अंकेक्षण का सामान्य मत।	अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव पृथक से टीप के साथ संलग्न है।


 (बी.एल. छाबड़ा)
 सहकारी निरीक्षक
 सहकारिता, जिला-भोपाल

अंकेक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक डीआरबी/318, दिनांक 08.02.1983 है, जो म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल जिला भोपाल की मेम्बर है, के वर्ष 2020-21 के हिसाब-किताब की जांच की, पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं उपविधियां ठीक है जो संस्था के दफ्तर में रखा हैं। सभा का लेन देन सामान्यतः विधानानुसार ईमानदारी के साथ हुआ है। अंकेक्षण के दौरान जो भी कमियां, दोष एवं विधान के प्रतिकूल कार्य किये गये है, पाये गये उनका उल्लेख प्रतिवेदन में कर दिया गया है।

तारीख 01.04.2020 से तारीख 31.03.2021

संस्था को अंकेक्षण की दृष्टि से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया।

प्राप्त अंकों के आधार पर
वर्गीकरण "ब" है।

अ. बहुत अच्छी है।

ब. अच्छी है। ✓

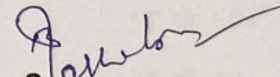
स. साधारण है।

द. खराब और असहकारी है।

इ. आर्थिक दशा बहुत नाजुक है।

तारीख

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी
संस्थाएँ जिला भोपाल
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक अंके/
निर्गमन 51 दिनांक 23/2/24
में उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के निरूपण हेतु जारी।
सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल


(बी.एल. छाबड़ा)
सहकारी निरीक्षक
सहकारिता, जिला-भोपाल

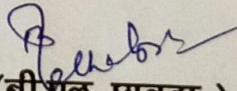
गृह निर्माण सहकारी समितियों के अंकेक्षण वर्गीकरण का मापदण्ड

1. गृह निर्माण सहकारी समिति के समस्त क्रियाकलापों को निम्नलिखित 8 शीर्षों (अ से ह) में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक शीर्ष के लिए आवंटित अधिकतम अंकों में से अंक दिये जायेंगे।

शीर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक
अ- सहकारी सक्षमता	10	06
ब- पूंजीगत ढांचा	10	06
स- वित्तीय सुदृढ़ता	15	08
द- प्रबंधकीय व्यवस्था	15	11
इ- लेखा और अभिलेख	05	04
फ- आंतरिक जांच	05	-
ग- नगदी तथा अन्य दस्तावेज की व्यवस्था	05	03
ह- संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशेष बिन्दु	35	15
योग :	100	53

2. अंकेक्षण के समय प्रत्येक गृह निर्माण समिति को निम्न में से कोई भी वर्ग दिया जायेगा तथा वर्गीकरण हेतु अर्हकारी अंकों की संख्या निम्नानुसार होगी-

वर्ग	आवश्यक अंक
1- अ) बहुत अच्छा	60 और ऊपर
2- ब) अच्छा ✓	50 से 59 ✓
3- स) उचित एवं संतोषप्रद	35 से 49
4- द) खराब और अनार्थिक	35 से नीचे


(बी.एल. साबड़ा)
 सहकारी निरीक्षक
 सहकारिता, जिला-भोपाल

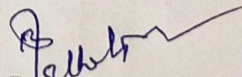
अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव

वर्ष 2020-21

कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) सहकारिता जिला भोपाल के आदेश क्र./ अंके./ 504, दिनांक 29.06.2021 के परिपालन में राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल का वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर पूर्ण किया गया। अंकेक्षण के दौरान जो आपत्तियाँ, कर्मियाँ, त्रुटियाँ प्रथमदृष्टता प्रकाश में आई, उनका उल्लेख निम्नानुसार है :-

1. संस्था द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61 के अंतर्गत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. संस्था की सदस्यता पंजी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई लेकिन सदस्यता पंजी के कुछ कालम अपूर्ण पाये गये। सभी कालमों की पूर्ति की जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सदस्यों के नॉमिनी के नाम अंकित कर सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाये जावे।
3. संस्था को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में संस्था की वार्षिक साधारण सभा में कोई सदस्य बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 72 (ख) (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।
4. संस्था के समस्त सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं। अतः नियमानुसार सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र जारी किये जावे।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था अभिलेख सहकारिता ई-पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. ✓ गत टीप अनुसार प्रदत्त अंशपूंजी 2,96,200/- के मान से समक्ष में धारित अंशों की संख्या 3232 दर्शायी गई है, का मिलान कर सही स्थिति दर्शायी जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अंकेक्षण आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन 30 दिवस में सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारिता, जिला-भोपाल को भेजना सुनिश्चित करें।

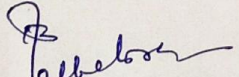

(बी.एल. छाबड़ा)

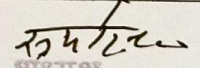
सहकारी निरीक्षक
सहकारिता, जिला-भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
भोपाल

आय व्यय पत्रक वर्ष 2020-2021

आय			व्यय		
01	टेम्प्रेरी अमानत	5,500.00	01	सेविंग खाता को. आप. बैंक.	2000.00
02	व्याज बैंक	525.00	02	सेविंग खाता क्षे.ग्रा.बैंक	1336.00
03	प्रारंभिक सिलक	402.45	03	संयुक्त सेविंग खाता क्षे.ग्रा. बैंक	1189.00
			04	स्टेशनरी	1000.00
			05	अंकक्षण शुल्क	500.00
			06	अंतिम सिलक	402.45
योग		6427.45	योग		6427.45

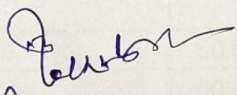

(कोषाध्यक्ष)
हस्ताक्षर निरीक्षक

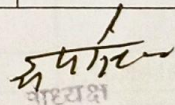

अध्यक्ष
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
भोपाल

हानि लाभ पत्रक वर्ष 2020-2021

हानि			लाभ		
01	स्टेशनरी	1000.00	01	व्याज बैंक	525.00
02	अंकेक्षण शुल्क	500.00	02	शुद्ध हानि	975.00
योग		1500.00	योग		1500.00


(वीरगुप्त चव्वाडा)
सहकारी निरीक्षक


उपस्थित
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्यादित भोपाल

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल

देन लेन पत्रक वर्षान्त 31/03/2021

देनदारी			लेनदारी		
01	हिस्सा सदस्य	2,96,200.00	01	सेविंग खाता को.आप.बैंक 4430.70 + 2000.00 6430.70	6,430.70
02	टेम्प्रेरी अमानत 2,74,785.00 + 5,500.00 2,80,285.00	2,80,285.00	02	सेविंग खाता क्षे.ग्रा.बैंक 13,451.46 + 1,336.00 14,787.46	14,787.46
03	रक्षित निधि	54,276.95	03	संयुक्त सेविंग खाता क्षे.ग्रा. बैंक 7,500.99 +1,189.00 8,689.99	8,689.99
04	बिल्डिंग फंड	50,000.00	04	गंदी बस्ती बोर्ड	7,10,141.00
05	संचित लाभ 61,164.65 - 975.00 60,189.65	60,189.65	05	हिस्सा आवास संघ	500.00
			06	अंतिम सिलक	402.45
योग		7,40,951.60	योग		7,40,951.60

(ओ.एस.एस.)
सहकारी निरीक्षक

समाप्त

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल

संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्माण पत्र क्रमांक/ अंके/ निर्माण 51 दिनांक 23/04/21

में उल्लेखित आक्षेपों एवं निर्देशों के प्रत्युत्तर हेतु जारी

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी संस्थाएँ जिला भोपाल

राजहर्ष
45
कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल

(पंजीयन क्रमांक/ डी.आर.बी. 451 दिनांक 10.06.1985)

क्रमांक/निर्वा/2019/10

दिनांक : 13.08.2019

प्रति,

1. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल
2. उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी (समन्वयक) जिला-भोपाल

विषय:- सोसायटी की संचालक मण्डल, अन्य पदाधिकारियों एवं सोसायटी की ओर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विवरणी।

संदर्भ:- म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का संशोधित आदेश क्रमांक /सह.नि.प्रा./ निर्वा. -3/2019/ 3193, दिनांक 18.07.2019

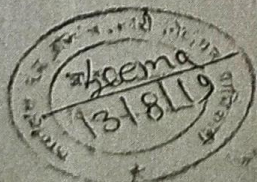
उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आदेश के पालन में मेरे द्वारा राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन सोसायटी की साधारण विशेष साधारण सम्मेलन दिनांक 09/08/2019 में कराया जाकर अध्यक्ष / उपाध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधिवत दिनांक 13/08/2019 सम्पन्न कराया गया है। निर्वाचित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) संचालक मण्डल

क्र.	नाम तथा पिता/पति	पता	वर्ग	पद
1	श्री रूप सिंह पुत्र श्री जयराम	ग्राम नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल	अनारक्षित	अध्यक्ष
2	श्री नेलशन जोन पुत्र श्री सी.टी. जोन	ई-8/100, त्रिलंगा सोसाइटी अरेरा, भोपाल	अनारक्षित	उपाध्यक्ष
3	कु. नेहा सिकरवार पुत्री स्व. श्री किशोर सिंह	165, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	महिला अनारक्षित	उपाध्यक्ष
4	श्री पीटर बेक पुत्र श्री फ्लादीश	108/2, वरुण नगर, भोपाल	अनुसूचित जाति	संचालक
5	श्री बी.एस. बाजपेयी पुत्र श्री जी.एस. बाजपेयी	17/16, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
6	श्री सत्यभान टेलर पुत्र श्री टेलर	41/11, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
7	श्री प्रमोद पुत्र श्री केशव राव	ग्राम गोहूखेड़ा, राजहर्ष, कोलार रोड, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
8	श्री जेम्स एम.जे. पुत्र श्री मथाई जोसफ	108/1, वरुण नगर, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
9				संचालक
10	श्री विनोद प्रजापति पुत्र स्व. श्री चन्द्रशेखर प्रजापति	538, बाग सेवनिया, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
11	श्री अंकित मीना पुत्र श्री तोताराम	ग्राम नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल	अनारक्षित	संचालक
	श्रीमती सुषमा मिश्रा पति श्री कमलेश मिश्रा	38/15, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल	महिला अनारक्षित	संचालक

(ब) अन्य सहकारी सोसायटीयों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि है :-

क्र.	प्रतिनिधि का नाम	सोसायटी का नाम जिसके लिए प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया
1.	श्री पीटर बेक	जिला सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
2.	श्री बी.एस. बाजपेयी	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल



राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

(बृजेश चौहान)
रिटर्निंग अधिकारी
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

निरन्तर..2..पर